जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प–2(ई.सी.211)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी–1102 दिनांक : 05.7.2017

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 211वीं बैठक दिनांक 28.06.2017 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	211.1	कार्यकारी समिति की 210वीं बैठक दिनांक 12.04.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 210वीं बैठक दिनांक 12.04.2017 के कार्यवाही विवरण एवं निर्णय संख्या 210.10 में जारी किए गए शुद्धि–पत्र क्रमांक प–2(ई.सी.210)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम)/2017/डी–983 दिनांक 02.05.2017 की पुष्टि की गई।	
2.	211.2	कार्यकारी समिति की 210 वीं बैठक दिनांक 12.04.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 210 वीं बैठक दिनांक 12.04.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष प्रकट किया गया।	
3.	211.3	खसरा नं. 1093 राजस्व ग्राम आकेड़ा डूंगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 38 की नजराना राशि 3 वर्ष से अधिक अवधि के विलम्ब पर नियमितीकरण बाबत्।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु "मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना" बाबत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं	उपायुक्त जोन–2

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में खसरा नं. 1093 राजस्व ग्राम आकेड़ा डूंगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 38 की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
4.	211.4	श्री अमित तिवाडी सहायक (प्रतिनियुक्ति पर) को हार्ड डयूटी अलाउन्स दिये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार श्री अमित तिवाडी सहायक (प्रतिनियुक्ति पर) को दिनांक 24.12.2014 से 10.12.2016 की अवधि के लिए रूपए 2000/- प्रतिमाह की दर से हार्ड डयूटी अलाउन्स दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
5.	211.5	प्राधिकरण की करधनी आवासीय योजना ग्राम सालिगरामपुरा एवं मथुरावाला में अवाप्त भुमि का भौतिक कब्जा दिये जा चुके	इस प्रकरण में समिति द्वारा विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली का भी अवलोकन किया गया।	उपायुक्त जोन-14

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		हितधारी/खातेदारान् को नकद मुआवजा स्वरूप विकसित भूमि विकल्प पत्र स्वीकार करने बाबत।	एजेण्डा में दिए गए तथ्यों तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि करधनी आवासीय योजना ग्राम सालिगरामपुरा एवं मथुरावाला में श्री विजयलाल एवं कल्याण पुत्र श्री मांगीलाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 1.05 हैक्टेयर ग्राम राजपुरा उर्फ मथुरावाला, तहसील सांगानेर का भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2001 को एवं धारा 6 व 17 (1) के अन्तर्गत घोषणा दिनांक 01.07.2002 को जारी कर अवार्ड दिनांक 26.06.2004 को जारी कर दिया गया था। उक्त अवाप्त खसरा में प्रार्थी श्री कल्याण आधे हिस्से का हितधारी/खातेदार था। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त अवाप्त भूमि के बदले मुआवज़ा राशि का अवार्ड जारी किया गया था तथा भूमि का स्वामित्व भी जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में राजस्व अभिलेख में अंकित हो गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खातेदारान को नकद मुआवज़ा प्राप्त करने हेतु नाटिस जारी करने के पश्चात भी चैक प्राप्त नहीं करने के कारण मुआवज़ा राशि में से आयकर राशि की कटौती की जाकर शेष मुआवज़ा राशि रूपए 3,38,843/- का चैक ज़रिये	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			रेफ़रेन्स दिनांक 16.11.2006 को सिविल न्यायालय में जमा करवा दिया गया था। प्रार्थी द्वारा नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 03.02.2015 के अनुक्रम में नकद भुगतान के स्थान पर 15 प्रतिशत विकसित भूमि चाहे जाने पर तत्कालीन उपायुक्त (ज़ोन-14ए) द्वारा जोन के पत्र क्रमांक 2622 दिनांक 04.12.2015 से अवाप्त भूमि का 15 प्रतिशत अर्थात 787.50 वर्गमीटर भूमि का आरक्षण-पत्र जारी कर दिया गया। प्रार्थी श्री कल्याण को राज्य सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 03.02.2015 के अनुसार अवाप्त भूमि के बदले में 15 प्रतिशत विकसित भूमि नहीं दी जा सकती थी अर्थात तत्कालीन उपायुक्त (ज़ोन-14ए) द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र के विपरीत जाकर आरक्षण-पत्र जारी किया गया। इतना ही नहीं उपायुक्त (ज़ोन-14ए) द्वारा आरक्षण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम स्तर पर स्वीकृति भी प्राप्त न कर अपने स्तर पर ही यह आरक्षण-पत्र जारी कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि तत्कालीन उपायुक्त (ज़ोन-14ए) द्वारा अपनी शक्तियों को अधिलंगित करते हुए यह आरक्षण-पत्र जारी किया गया है। तत्कालीन उपायुक्त (ज़ोन-14ए) द्वारा	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			अपनी शक्तियों के विपरीत जाकर आरक्षण–पत्र जारी किए जाने के कारण प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत प्रासंगिक रेफरेन्स 211/2015 में जमा की गई अवार्ड की राशि को प्राधिकरण अधिवक्ता के कथन पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय जारी कर मुआवज़ा राशि के चैक वापिस किए जाने के आदेश दिनांक 31.10.15 को प्रदान किए जा चुके हैं। जबकि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 03.02.2015 एवं पश्चातवर्ती परिपत्र दिनांक 04.06.2015 में यह प्रावधान है कि जिन खातेदारान द्वारा अवाप्त की गई भूमि का कब्ज़ा नहीं संभलाया गया है उन्हीं प्रकरणों में मुआवज़ा स्वरूप विकसित भूमि दी जा सकती है। किन्तु इस प्रकरण में हितधारी/खातेदार द्वारा अवाप्त भूमि का भौतिक कब्ज़ा दे दिए जाने के कारण मुआवज़ा स्वरूप विकसित भूमि नहीं दी जा सकती थी। उपरोक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन उपायुक्त (ज़ोन–14ए) द्वारा कार्य के प्रति घोर लापरवाही की गई है। इतना ही नहीं उन्होंने अपने इस कृत्य से राज्य सरकार तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के हितों की हानि पहुंचाई है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			को देखते हुए समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नियमों एवं प्रचलित आदेशों के विपरीत जाकर कार्य करने के कारण तत्कालीन उपायुक्त (ज़ोन–14ए) के विरूद्ध Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958 की धारा 16 में आरोप–पत्र तैयार कर कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार को भिजवाया जावे। प्रार्थी श्री कल्याण को जिस 15 प्रतिशत विकसित भूमि अर्थात 787.50 वर्गमीटर भूमि का आरक्षण–पत्र जारी किया गया था उसमें से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 427.50 वर्गमीटर भूमि का श्री मुकेश गुप्ता पत्र श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता के पक्ष में एवं 360.00 वर्गमीटर भूमि का श्री जयकृष्ण सैनी पुत्र श्री मनोहरलाल सैनी के पक्ष में बेचान कर दिया गया है तथा जोन द्वारा क्रेतागण के पक्ष में नाम हस्तान्तरण पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। उपरोक्त समस्त कार्य नियम विरूद्ध किए गए हैं। इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहे जाने पर राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प.2(7)नविवि/3/ 2015 दिनांक 05.01.16 में स्पष्ट उल्लेख किया है	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			कि जिन हितधारी/खेतेदारान की भूमि अवाप्त कर कब्ज़ा ले लिया गया है और परियोजना का क्रियान्वयन हो गया है, उन पर परिपत्र दिनांक 03.02.2015 लागू नहीं होता है। इस सम्बन्ध में उक्त प्रकरण को पुनः राज्य सरकार को प्रेषित कर प्रकरण में आवंटन-पत्र जारी करने की स्वीकृति चाही गई, किन्तु राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 15.03.17 द्वारा स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया कि पूर्व में राज्य सरकार के स्तर से जारी आदेशों के अनुसार ही जयपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर कार्रवाई की जावे। बैठक में इस बिन्दु पर भी चर्चा की गई कि क्या नकद मुआवज़ा राशि सक्षम न्यायालय में पुनः जमा करवाई जा सकती है एवं जो आरक्षण-पत्र जारी किया गया है उसे निरस्त किया जा सकता है? इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान निदेशक (विधि) द्वारा यह राय प्रदान की गई कि भूमि अवाप्ति अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के अनुसार पुनः भूमि अवाप्ति की कार्रवाई के अन्तर्गत मुआवज़ा राशि सक्षम न्यायालय में जमा नहीं करवाई जा सकती है। विस्तार से विचार-विमर्श पश्चात समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			कि अब इस प्रकरण में अनियमित रूप से जारी आरक्षण-पत्र को नियमित किए किए जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः तत्कालीन उपायुक्त (ज़ोन-14ए) को आरोप-पत्र दिए जाने के प्रस्ताव कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार को भेजे जाने के पश्चात उपरोक्त समस्त तथ्यों सहित प्रकरण को पुनः राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
6.	211.6	Agenda regarding Ex-post facto approval for cancel the tender for the work of "Development work in Group Housing Scheme at Goner road in Village Govindpura and Ropada in Zone- 10A JDA, Jaipur."	विचार-विमर्श पश्चात "Development work in Group Housing Scheme at Goner road in Village Govindpura and Ropada in Zone- 10A JDA, Jaipur." कार्य के लिए की गई निविदा को निरस्त करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम
7.	211.7	खसरा नं. 1093, राजस्व ग्राम आकेड़ा डूंगर के भूखण्ड संख्या 127 की नजराना राशि 3 वर्ष से अधिक के विलम्ब पर नियमितीकरण बाबत्।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं	उपायुक्त जोन-2

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में खसरा नं. 1093, राजस्व ग्राम आकेड़ा डूंगर के भूखण्ड संख्या 127 की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
8.	211.8	Agenda Regarding Cancellation of Tender for the work "Bituminous road works for main roads (18mt, 24mt, & 30mt wide) in New JDA Residential Scheme Panna Dhay Nagar at Begas, Zone 12, JDA, Jaipur."	विचार–विमर्श पश्चात "Bituminous road works for main roads (18mt, 24mt, & 30mt wide) in New JDA Residential Scheme Panna Dhay Nagar at Begas, Zone 12, JDA, Jaipur." कार्य के लिए की गई निविदा को उक्त स्थान पर वर्तमान में कोई आबादी नहीं होने के कारण निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
9.	211.9	खसरा नं. 1093, ग्राम आकेड़ा डूंगर के भूखण्ड संख्या 110 की नजराना राशि 3 वर्ष से अधिक के विलम्ब पर नियमितीकरण बाबत्।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश	उपायुक्त जोन–2

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में खसरा नं. 1093, ग्राम आकेड़ा डूंगर के भूखण्ड संख्या 110 की नजराना राशि 3 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
10.	211.10	भूखण्ड संख्या सी-196, योजना गिरधारीपुरा का नियमन करने के सम्बन्ध में।	एजेण्डा में उल्लेखानुसार संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास भाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(45)नविवि/जयपुर/2016 दिनांक 22.06.2016 एवं 21.07.2016 के द्वारा प्रमाणित व निर्धारित चैक लिस्ट व	उपायुक्त जोन-7

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			एजेण्डा नोट पर प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में लिए गए निर्णय की प्रमाणित प्रति चाहे जाने के कारण प्रकरण को कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया है। विचार–विमर्श पश्चात सी–196, योजना गिरधारीपुरा के आवंटी द्वारा नज़राना राशि दो वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं करवाए जाने के कारण डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
11.	211.11	Agenda Regarding Cancellation of Tender for work "Development work for various Shamshan in Gram Panchayat Awaniya zone -12 JDA Jaipur."	"Development work for various Shamshan in Gram Panchayat Awaniya zone -12 JDA Jaipur." कार्य के लिए की गई निविदा को निरस्त करने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में तीन शमशान के स्थान पर एक ही शमशान को विकसित करना है, जिससे निविदा की सभी शर्ते बदल जाती हैं। अतः विचार–विमर्श पश्चात उक्त निविदा को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
12.	211.12	खसरा नं. 1093 राजस्व ग्राम आकेड़ा डूंगर, जयपुर के भूखण्ड	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के	उपायुक्त जोन–2

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		संख्या 72 की नजराना राशि 1 वर्ष से अधिक की अवधि के विलम्ब पर नियमितीकरण बाबत्।	त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में खसरा नं. 1093 राजस्व ग्राम आकेड़ा डूंगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 72 की नजराना राशि 1 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं करवाये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
13.	211.13	Agenda regarding Ex-post facto approval for additional work in the work of "Construction of various road work in surrounding area of luniyawas in Zone-10A	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of various road work in surrounding area of luniyawas in Zone-10A area, JDA, Jaipur". के	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		area, JDA, Jaipur".	कार्य के साथ एजेण्डा में उल्लेखानुसार रूपए 16.27 लाख के सड़क निर्माण के अतिरिक्त कार्य को जोड़ने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
14.	211.14	Post-facto approval of Tender for the work of "Construction of Service road with Kerb stone along 30 Mtr. wide road parallel to JP-Dly Rly ling in Sector-37. (ii) Kerb stone& other civil work."	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of Service road with Kerb stone along 30 Mtr. wide road parallel to JP-Dly Rly ling in Sector-37. (ii) Kerb stone& other civil work." के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता M/s Kundan Enterprises के पक्ष में "G-Shedule based on JDA BSR 2016" पर 38.99% कम दर पर राशि रूपए 31,71,249.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम
15.	211.15	Agenda Regarding Cancellation of Tender for the work "Widening and Improvement of approach road to Scheme from Begus to JDA Scheme Pannadhay Nagar."	विचार–विमर्श पश्चात "Widening and Improvement of approach road to Scheme from Begus to JDA Scheme Pannadhay Nagar." कार्य के लिए की गई निविदा को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसी रोड पर कार्य प्रारम्भ कर दिए जाने के कारण निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
16.	211.16	जविप्रा की आवासीय योजना देव विहार के भूखण्ड सं. डी–727 के नियमितीकरण करने बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात जविप्रा की आवासीय योजना देव विहार के भूखण्ड सं. डी–727 के लिए देय राशि आवंटी द्वारा एक वर्ष पश्चात परन्तु दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन–14
17.	211.17	जोन–9 में स्थित महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वविद्यालय नगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 1 से लगती हुई भू–पट्टी की लीजडीड जारी करने बाबत।	जोन–9 में स्थित महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वविद्यालय नगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 1 से लगती हुई भू–पट्टी की लीज़डीड जारी करने के सम्बन्ध में श्री डूंगर सिंह, लालचन्द मीणा, अनीता मीणा, ओमप्रकाश शर्मा, आलोक गुप्ता, तनवी शर्मा, कैलाश चन्द शर्मा, राकेश चौधरी, निवासीयान योजना विश्वविद्यालय नगर द्वारा दिनांक 23.06.17 को आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिस पर समिति द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 13341/2016 में प्राप्त स्थगन आदेश	उपायुक्त जोन–9

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			एवं वाद को सर्वप्रथम वापस लेना होगा। प्रार्थी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से वाद Withdraw करने बाबत जारी Ordersheet की प्रति जोन कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात ही जोन–9 में स्थित महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वविद्यालय नगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 1 से लगती हुई 124.88 वर्गमीटर भू–पट्‌टी को राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटित कर किया जावे।	
18.	211.18	प्राधिकरण में टैक्सी वाहनों की प्रतिमाह किलोमीटर सीमा निर्धारण करने के सम्बन्ध में।	विचार–विमर्श पश्चात प्राधिकरण में टैक्सी वाहनों की प्रतिमाह किलोमीटर सीमा निर्धारण को एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
19.	211.19	प्राधिकरण के उपायुक्त जोन (पी.आर.एन.–उत्तर) एवं (पी.आर.एन.–दक्षिण) के क्षेत्रों का विभाजन कर नवीन जोन पी.आर.एन.(उत्तर–I), पी.आर.एन.(उत्तर–II) तथा पी.आर.एन. (दक्षिण–I) व पी.आर.एन. (दक्षिण–II) बनाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात प्राधिकरण के उपायुक्त जोन (पी.आर.एन.–उत्तर) एवं (पी.आर.एन.–दक्षिण) के क्षेत्रों का विभाजन कर नवीन जोन पी.आर.एन. (उत्तर–I), पी.आर.एन. (उत्तर–II) तथा पी.आर.एन. (दक्षिण–I) व पी.आर.एन. (दक्षिण–II) बनाये जाने बाबत जारी कार्यालय आदेश क्रमांक प–14(26) जविप्रा/संस्था/98 दिनांक 14.06.2017 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			गई।	
20	211.20	Post-facto Approval of financial bid for the work "Development of bead 200 Green wood garden at Agra Road, Jaipur."	विचार–विमर्श पश्चात " Development of bead 200 Green wood garden at Agra Road, Jaipur." के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता M/s Laxmi Narayan Agarwal के पक्ष में "G-Shedule" पर 10.00% कम दर पर राशि रूपए 4,08,12,439.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक
21	211.21	Post-facto Approval of financial bid for the work "Development of Sylvan Park Phase-II (Rawadi Beed) at Agra Road, Jaipur."	विचार–विमर्श पश्चात "Development of Sylvan Park Phase-II (Rawadi Beed) at Agra Road, Jaipur." के लिए एकल निविदा प्राप्त होने के कारण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता M/s Laxmi Narayan Agarwal के पक्ष में "G-Shedule" पर 6.00% कम दर पर राशि रूपए 5,00,07,546.00 की निविदा की	वन संरक्षक

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
22	211.22	Approval of bid for the work "Revival of Galta Valley, Jaipur"	विचार–विमर्श पश्चात "Revival of Galta Valley, Jaipur." के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में एकल दरदाता M/s Niraniya Const. Co. के पक्ष में "G-Shedule" पर 11.89% कम दर पर राशि रूपए 3,93,58,559.00 की निविदा की बिना शर्त स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक
23	211.23	Ex post facto Approval of Bid documents for the work of "Consultancy services for preparation of ESMS report for five ROB/RUB projects -SITAPURA, DANTLI, BASSI, JAHOTA & ANANDLOK in JDA Region"	विचार–विमर्श पश्चात "Consultancy services for preparation of ESMS report for five ROB/RUB projects -SITAPURA, DANTLI, BASSI, JAHOTA & ANANDLOK in JDA Region" के लिए एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार Bid document के अनुमोदन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम
24	211.24	Approval of tender for the work "Development of Hathi Gaon Zone-10, area, JDA, Jaipur."	विचार–विमर्श पश्चात "Development of Hathi Gaon Zone-10, area, JDA, Jaipur." के लिए न्यूनतम दरदाता M/s Nirania Construction Company के पक्ष में "G-Shedule based on JDA BSR 2016" पर 4.21% कम दर पर राशि रूपए 3,68,31,757.00 की निविदा की बिना शर्त स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
25	211.25	Agenda note regarding approval of tender and post facto approval of negotiation for work of "O&M of 1 MLD STP Jawahar Circle" in favor of L-1 bidder M/s Pollucon Technologies Ltd.	विचार–विमर्श पश्चात "O&M of 1 MLD STP Jawahar Circle" के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में नेगोसिएशन करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई एवं न्यूनतम दरदाता M/s Pollucon Technologies Ltd. के पक्ष में राशि रूपए 42,60,000.00 की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम
26.	211.26	Agenda note regarding approval of tender and post facto approval of negotiation for work of "O&M of 1 MLD STP Ramniwas Bagh" in favor of L-1 bidder M/s Pollucon Technologies Ltd-	विचार–विमर्श पश्चात "O&M of 1 MLD STP Ramniwas Bagh" के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में नेगोसिएशन करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई एवं न्यूनतम दरदाता M/s Pollucon Technologies Ltd. के पक्ष में राशि रूपए 42,60,000.00 की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम
27.	211.27	Approval of Bid Document for the work of "Construction, Operation and Maintenance of Public Toilet Block (15 seated) in Goner, Zone-9, JDA Jaipur".	विचार–विमर्श पश्चात "Construction, Operation and Maintenance of Public Toilet Block (15 seated) in Goner, Zone-9, JDA Jaipur". के लिए तैयार किए गए Bid document को अनुमोदित करने का	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			निर्णय लिया गया।	
28.	211.28	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना स्वर्ण विहार के भूखण्ड संख्या 130 के स्वतः निरस्त आवंटन/पेनेल्टी लेकर बहाल करने बाबत्।	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना स्वर्ण विहार के भूखण्ड संख्या 130 का आवंटन 7 वर्ष पूर्व किया गया था तथा प्रार्थी द्वारा अब तक नज़राना राशि जमा नहीं करवाई गई है। अतः विचार-विमर्श पश्चात उक्त आवंटन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्देश दिए गए कि प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड को मौके पर अपने कब्ज़े में लिया जाकर तुरन्त नीलाम करने की कार्रवाई की जावे।	उपायुक्त जोन-8
29.	211.29	सांगानेर फ्लाई ओवर से सीतापुरा फ्लाई ओवर टोंक रोड की बायीं तरफ सर्विस सड़क पर स्थित दुकान एवं अतिक्रमण हटाने से प्रभावित हुये व्यक्तियों को मुआवजा व भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात सांगानेर फ्लाई ओवर से सीतापुरा फ्लाई ओवर टोंक रोड की बायीं तरफ सर्विस सड़क पर स्थित दुकान एवं अतिक्रमण हटाने से प्रभावित हुये व्यक्तियों को एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार मुआवजा व भूखण्ड दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-9
30.	211.30	ग्राम बूड़थल तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 625 व 628 गैर मु.आबादी भूमि में श्री जगदीश नारायण व कजोडमल पुत्रान स्व. श्री रतन लाल मीणा को ग्राम पंचायत बूड़थल द्वारा को जारी किये गये पट्टों के बदले भूखण्ड आवंटन बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात ग्राम बूड़थल तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 625 व 628 गैर मु.आबादी भूमि में श्री जगदीश नारायण व कजोड़मल पुत्रान स्व. श्री रतन लाल मीणा को ग्राम पंचायत बूड़थल द्वारा को जारी किये गये पट्टों के बदले भूखण्ड आवंटन के	उपायुक्त जोन-9

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			सम्बन्ध में एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावों को अनुमोदित किऐ जाने जा निर्णय लिया गया।	
31.	211.31	Approval for rejection of bid for work of "Construction of compound wall and Demarcation Pillars of development works in proposed JDA residential scheme Dev Vihar Village Devkishanpura Chaksu in Zone-14 JDA Jaipur."	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of compound wall and Demarcation Pillars of development works in proposed JDA residential scheme Dev Vihar Village Devkishanpura Chaksu in Zone-14 JDA Jaipur." कार्य के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में की गई निविदा को निरस्त करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम
32.	211.32	Approval for rejection of bid for work of " Renewal of Roads in Zone-14 Area JDA, Jaipur".	विचार–विमर्श पश्चात " Renewal of Roads in Zone-14 Area JDA , Jaipur". कार्य के लिए निविदा को निरस्त करने का निर्णय निर्धारित 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में की गई निविदा को निरस्त करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम
33.	211.33	Ex-Post facto approval of tender for the work of "Renewal of roads in Sachiwalya Nagar Zone-14, Jaipur."	विचार–विमर्श पश्चात "Renewal of roads in Sachiwalya Nagar Zone-14, Jaipur." के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता M/s Madan Lal Rameshwar Lal के पक्ष में "G-Shedule" पर 26.86% कम दर पर राशि रूपए 1,04,99,040.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
34.	211.34	राजस्व ग्राम भट्टों की गली, तहसील आमेर में आनन्द लोक फेज द्वितीय योजना तथा नींदड आवासीय योजना में आरक्षण पत्र के आधार पर क्रय क्षेत्रफल का नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात राजस्व ग्राम भट्टों की गली, तहसील आमेर में आनन्द लोक फेज द्वितीय योजना तथा नींदड आवासीय योजना में एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार आरक्षण पत्रों के आंशिक बेचान को योजना में उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल के उपलब्ध भूखण्डों की हद तक स्वीकार किया जाकर नाम हस्तान्तरण की कार्रवाई किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.11.2016 में निर्धारित अवधि अर्थात् दिनांक 23.02.2017 तक जोन कार्यालय में प्राप्त नाम हस्तान्तरण के आवेदनों में नाम हस्तान्तरण की कार्रवाई किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12
35.	211.35	Agenda for considering the BID NO. 02/2017-18 without UBN NO. for the work	विचार-विमर्श पश्चात "Shifting and dismantling of Electrical utilities at	निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		of "Shifting and dismantling of Electrical utilities at construction site of ROB Bassi and Providing and fixing and fixing of street light over ROB, Bassi, JDA, Jaipur".	construction site of ROB Bassi and Providing and fixing and fixing of street light over ROB, Bassi, JDA, Jaipur". के लिए न्यूनतम दरदाता M/s Sawhney Electricals के पक्ष में "G-Shedule" पर 33.21% कम दर पर राशि रूपए 1,13,71,838.20 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
36.	211.36	आवेदक श्रीमती अकल कुमारी धर्मपत्नि श्री महेन्द्र जैन ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 194, 196/1123, 196, 190, 189, 165, 193, 192, 191, 188, 166, 167, 168, 176, 177, 194/1242, 193/1243 क्षेत्रफल 28697.89 वर्गमीटर भूमि में से सुविधा क्षेत्र का आवंटन राशि लोटाने बाबत।	एजेण्डा में उल्लेखित तथ्यों पर विचार-विमर्श पश्चात आवेदक श्रीमती अकल कुमारी धर्मपत्नि श्री महेन्द्र जैन को उनके द्वारा सुविधा क्षेत्र के आवंटन हेतु जमा कराई गई राशि रूपए 99,84,791/- लौटाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12
37.	211.37	चौमू कस्बे में बस स्टेण्ड पर यात्रियों हेतु प्रतीक्षा हॉल व बस स्टाप का निमार्ण कार्य जविप्रा, जयपुर (पार्ट-बी, बस स्टेण्ड) की निविदा निरस्त करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखित निविदा को निरस्त करने का निर्णय निर्धारित 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निविदादाता द्वारा निविदा में भरी गई निविदा राशि पर कार्य करने में असमर्थता प्रकट करने के कारण प्रस्तावानुसार चौमू कस्बे में बस स्टेण्ड	निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			पर यात्रियों हेतु प्रतीक्षा हॉल व बस स्टाप का निमार्ण कार्य जविप्रा, जयपुर (पार्ट–बी, बस स्टेण्ड) की निविदा निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
38.	211.38	Post-Facto Approval of Bid for the work "Construction of Underpass to connect the SMS Hospital& Trauma Center at Jaipur".	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of Underpass to connect the SMS Hospital& Trauma Center at Jaipur". के लिए न्यूनतम दरदाता M/s Shree Ram Kripa Constructions के पक्ष में "G-Shedule" पर 13.11% कम दर पर राशि रूपए 9,26,72,958.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम
39.	211.39	Agenda Regarding Cancellation of tender and permission for recalling of Tender for the work "Levelling of scheme area by removing of sand dunes in Anand Vihar Scheme Zone 12 JDA Jaipur".	विचार–विमर्श पश्चात "Levelling of scheme area by removing of sand dunes in Anand Vihar Scheme Zone 12 JDA Jaipur". कार्य के लिए की गई निविदा के सम्बन्ध में निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर पर कार्य करने में असमर्थता प्रकट करने के कारण उक्त निविदा को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
40.	211.40	Approval of EC regarding (i) Issuing amendment in Work Oder placed vide dated 16.12.2016 to M/s HFCL Due to revision in tax amount in SITC work incorpotating Service Tax (keeping the prices same as in Work Order amount) for the work of "Provisioning & Integration of Wi-Fi Hotspots, Interactive Information Kiosks, Surveillance Cameras,	विचार–विमर्श पश्चात "Provisioning & Integration of Wi-Fi Hotspots, Interactive Information Kiosks, Surveillance Cameras, Environmental Sensors, Structural Sensors, Smart lighting solution and Remote Kiosks along with Facility Management Services for 3 years under Phase 3 ". के लिए :– (i) Issuing amendment in Work Oder placed vide dated 16.12.2016 to M/s HFCL Due	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		Environmental Sensors, Structural Sensors, Smart lighting solution and Remote Kiosks along with Facility Management Services for 3 years under Phase 3 "., and (ii) for signing of Tri-Partite Agreement (TPA) to be executed between JDA, M/s HFCL & M/s Reliance Communications as ISP Partner for P2P connectivity & BW charges for the project	to revision in tax amount in SITC work incorpotating Service Tax (keeping the prices same as in Work Order amount. एवं (ii) Signing of Tri-Partite Agreement (TPA) to be executed between JDA, M/s HFCL & M/s Reliance Communications as ISP Partner for P2P connectivity & BW charges for the project, की स्वीकृति प्रदान की गई।	
41.	211.41	Post-facto approval of tender for the work: Strengthening and widening of road for four laning work of Ramgrarh road (SH-55) from Nayala Mod to Indragarh Mod and PHED Campus Heerawal to Nayawas Zone-13,JDA Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात " Strengthening and widening of road for four laning work of Ramgrarh road (SH-55) from Nayala Mod to Indragarh Mod and PHED Campus Heerawal to Nayawas Zone-13,JDA Jaipur." के लिए न्यूनतम दरदाता M/s Gupta K. N. Construction Co. के पक्ष में "G-Shedule" पर 30.03% कम दर पर राशि रूपए 11,55,80,381.00 की निविदा की बिना शर्त कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
42.	211.42	Post-facto approval of tender for the work: Strengthening and widening of road for four laning work of Ramgrarh road (SH-55) from Nayawas to Jamwaramgarh, Zone- JDA Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात " Strengthening and widening of road for four laning work of Ramgrarh road (SH-55) from Nayawas to Jamwaramgarh, Zone- JDA Jaipur." के लिए न्यूनतम दरदाता M/s Latala Construction Co. के पक्ष में "G-Shedule" पर 29.28% कम दर पर राशि रूपए 11,30,04,317.00 की निविदा की	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			बिना शर्त कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
43.	211.43	Agenda regarding bid rejection for the work of Rate Contract for Addition/Alteration of Traffic Signalization work at various crossing in Jaipur City.	विचार–विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखित निविदा को निरस्त करने का निर्णय निर्धारित 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तें पूर्ण नहीं करने के कारण उक्त कार्य के लिए की गई निविदा को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
44.	211.44	Agenda regarding approval of deviation & Non BSR extra items for the work of SITC of light & Sound system with AMC at Amar Jawan jayoti, Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात "SITC of light & Sound system with AMC at Amar Jawan jayoti, Jaipur." के सम्बन्ध में निविदा में 1.91% बढ़ी हुई राशि रूपए 23,15,650.00 के Deviation की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
45.	211.45	Agenda regarding approval of "Special condition for Traffic Light work & Eligibiliy Criteria" Maintenance & New work.	विचार–विमर्श पश्चात "Special condition for Traffic Light work & Eligibiliy Criteria" के लिए एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
46.	211.46	"Construction of Bus Shelters on Gopalpura Bypass from Gurjar ki Thadi to Ajmer Road, Jaipur".	विचार–विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि Bus Shelters के निर्माण तथा Maintainance का उक्त कार्य JCTCL द्वारा करवाया जाता है। अतः प्रस्तावित Tender Document को अस्वीकृत करते	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			हुए यह निर्णय लिया गया कि इन Bus Shelters का अपने स्तर पर निर्माण करने के लिए JCTCL को पत्र प्रेषित किया जावे।	
47.	211.47	Agenda regarding bid rejection for the work of Electrification work of JDA residential scheme at village Awaniya, Tehsil Sanganer, Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात "Electrification work of JDA residential scheme at village Awaniya, Tehsil Sanganer, Jaipur." कार्य के लिए तकनीकी कारणों से Bid को एसपीपी पोर्टल पर अपलोड करने व Bid जमा करने की अन्तिम तिथि के बीच समय कम मिलने के कारण इस निविदा को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
48.	211.48	Ex-post facto approval of the acceptance of the bid for the work of Comprehensive Traffic and Transportion Study for Jaipur Region, Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात "Comprehensive Traffic and Transportion Study for Jaipur Region, Jaipur." के लिए न्यूनतम दरदाता M/s L&T Infrastructure Ltd. के पक्ष में "G-Shedule" पर 14.5% कम दर पर राशि रूपए 250.00 लाख की निविदा की एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम
49.	211.49	Agenda regarding bid rejection for the work of "Various development work in Bassi Town in Zone-13A, JDA, Jaipur".	विचार–विमर्श पश्चात "Various development work in Bassi Town in Zone-13A, JDA, Jaipur". कार्य की तत्काल आवश्यकता नहीं होने के कारण इस निविदा को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
50.	211.50	Agenda note for Ex-post facto approval for cancellation of Tender "Providing and fixing of street light (Service Road.) From ROB Jagtpura to Goner Road Junction Mahal Road."	विचार–विमर्श पश्चात "Providing and fixing of street light (Service Road.) From ROB Jagtpura to Goner Road Junction mahal Road." कार्य के लिए तकनीकी कारणों से Bid को एसपीपी पोर्टल पर अपलोड करने व Bid जमा करने की अन्तिम तिथि के बीच समय कम मिलने के कारण इस निविदा को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
51.	211.51	Agenda note for cancellation of Tender for Electrification work JDA residential scheme Swarn Vihar, Muhana Mandi, Zone-8, Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात "Electrification work JDA residential scheme Swarn Vihar, Muhana Mandi, Zone-8, Jaipur." कार्य के लिए तकनीकी कारणों से Bid को एसपीपी पोर्टल पर अपलोड करने व Bid जमा करने की अन्तिम तिथि के बीच समय कम मिलने के कारण इस निविदा को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
52.	211.52	Agenda regarding bid rejection for the work of Shifting of utilities (33KV,11KV and LT line) under the project Six lanning of Jaipur Ring Road from Tonk road to Ajmer road (37.00 KM to 47.00KM) at Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात " Shifting of utilities (33KV,11KV and LT line) under the project Six lanning of Jaipur Ring Road from Tonk road to Ajmer road (37.00 KM to 47.00KM) at Jaipur." कार्य के लिए तकनीकी कारणों से Bid के एसपीपी पोर्टल पर देरी से लोड होने के कारण तथा यह कार्य अब प्राधिकरण द्वारा नहीं करवाये जाने के कारण इस निविदा को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
53.	211.53	Agenda regarding bid rejection for the work of Shifting of utilities (33KV, 11kv and LT line) under the project Six lanning of Jaipur Ring Road from Tonk road to Ajmer road (30.00 KM to 37.00KM) at Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात "Shifting of utilities (33KV, 11kv and LT line) under the project Six lanning of Jaipur Ring Road from Tonk road to Ajmer road (30.00 KM to 37.00KM) at Jaipur." कार्य के लिए तकनीकी कारणों से Bid के एसपीपी पोर्टल पर देरी से लोड होने के कारण तथा यह कार्य अब प्राधिकरण द्वारा नहीं करवाये जाने के कारण इस निविदा को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
54.	211.54	Agenda regarding bid rejection for the work of Shifting of utilities (11kv and LT line) under the project Six lanning of Jaipur Ring Road from Tonk road to Ajmer road (23.00 KM to 30.00KM) at Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात " Shifting of utilities (11kv and LT line) under the project Six lanning of Jaipur Ring Road from Tonk road to Ajmer road (23.00 KM to 30.00KM) at Jaipur." कार्य के लिए तकनीकी कारणों से Bid के एसपीपी पोर्टल पर देरी से लोड होने के कारण तथा यह कार्य अब प्राधिकरण द्वारा नहीं करवाये जाने के कारण इस निविदा को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय

(एच. गुइटे)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 211वीं बैठक दिनांक 28.06.2017 को प्रातः 11:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'मंथन' में श्री वैभव गालरिया, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री वैभव गालरिया	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री एच. गुईटे	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री एन. सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री ए. के. कुमावत	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री सतीश गोयल	अतिरिक्त निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री कैलाश चन्द्र यादव	अति. जिला मजिस्ट्रेट-III	जिलाधीशा कार्यालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री कमल के पारीक	महाप्रबन्धक जयपुर जोन	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री प्रदीप मोंगा	अति. पुलिस उपायुक्त मुख्यालय	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री एस. डी. गौड़	उपायुक्त	नगर निगम जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
11.	श्री केशव श्रीवास्तव	अधिशाषी अभिंयता	जनस्वास्थ अभियंत्रिकी विभाग	सदस्य के प्रतिनिधि
12.	श्री संजय वाधमारे	वरिष्ठ नगर नियोजक	रीको लि. जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
13.	श्री दीपक शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता (सीडी-iv)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
14.	श्रीमति आकांशा चौधरी	वन संरक्षक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री ललित शर्मा	निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री अशोक चौधरी	अति. मुख्य अभियन्ता (पीएचई)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री एम. एल. चौधरी	अति. मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री बी. डी शर्मा	अति. मुख्य अभियन्ता-IV	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री मधुसूधन पालीवाल	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री राजकुमार सिंह	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री सत्य प्रकाश कस्वाँ	उपायुक्त जोन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री नवल किशोर वैरवा	उपायुक्त जोन-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
23.	श्री देवेन्द्र कुमार	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री एस.सी. मीणा	अधीक्षण अभियन्ता-(विद्युत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्री एम. एल. मीणा	अधीक्षण अभियन्ता-(उद्यान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27.	श्री टी. के. शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता- IV	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
28.	श्री बी. एल. जाटव	अधीक्षण अभियन्ता- VII	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
29.	श्री आर. पी. रैगर	अधीक्षण अभियन्ता- XIII	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
30.	श्री संजय शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता- 14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
31.	श्री जी. एल. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता-(विद्युत- II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
32.	श्री सुरेश दत्त	अधिशाषी अभियन्ता 12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
33.	श्री राजेन्द्र आहुजा	अधिशाषी अभियन्ता 10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
34.	श्री बी.डी शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता 13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
35.	श्री आर. के. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता 14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
36.	श्री एल. एन. मित्तल	अधिशाषी अभियन्ता 9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
37.	श्री रमेश शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता (विधुत- III)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
38.	श्री विनोद कृष्णया	अधिशाषी अभियन्ता 4	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
39.	श्री हेमेन्द्र शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता (उद्यान -I)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
40.	श्री अवधेश माथुर	अधिशाषी अभियन्ता (आरओबी-II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
41.	श्री मुकेश कुमार मीणा	अधिशाषी अभियन्ता (पीएचई-I)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
42.	श्री सपन मिश्रा	अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
43.	श्री विवेक शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता-(प्रो.-1)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
44.	श्री पंकज शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता (सेक्टर रोड)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
45.	श्री राजीव सिंघल	सहायक अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
46.	श्री देवेश गुप्ता	सहायक अभियन्ता (स्मार्ट सिटी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
47.	श्री कर्मचन्द्र लखवाणी	तहसीलदार	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
48.	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता	लेखाधिकारी (स्कीम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
49.	श्री महेन्द्र मीणा	सहायक नगर नियोजक–IX	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
50.	श्री राहुल बिन्दल	कनिष्ठ अभियंता–VIII	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
51.	श्रीमती ऊषा जैन	विशेषाधिकारी (पी.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

(एच. गुईटे)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.211)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी- 1102 दिनांक: 05.7.2017

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन..........	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(एच. गुईटे)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर